संख्या-33/2016/आर-322/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में 03-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-274/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक-15.12.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक''2225-02-796-03-45-अवकाश यात्रा व्यय एवं लेखशीर्षक ''2225-02-796-08-01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता एवं 45-अवकाश यात्रा'' से रूपया-7.02 लाख (रूपया सात लाख दो हजार मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्षक''2225-02-796-03 मुख्यालय अधिष्ठान'' में व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी। जिस मद में व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(2)-स्वीकृति की जा रही धनराशि के व्यय में उ0प्र0 बजट मैनुवल एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के मुख्य लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03--मुख्यालय अधिष्ठान'' के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-200/दस-2016, दिनांक-12 फरवरी 2016 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-33/2016/आर-322(1)/26-3-2316 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-9(भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या-81-आयोजनेत्तर वित्तीय वर्ष 2015-16 (रू0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					
लेखाशीर्षक-15डिजिटलकोड में	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्तविभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट कोड में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-10)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान 45-अवकाश वाला व्यय	25	25	25	25	0	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेतर-796-जनजातीयक्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान 01-वेतन	5737	6228	491	491	6228
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-08-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास						2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेतर-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान 04-यात्रा	60	95	35	35	95
01-वेतन	566	316	257	257	309	08 अन्य भत्ते	688	864	176	176	864
03-महगाई भत्ता	679	479	410	410	269						
45-अवकाश वाला	10	10	10	10	0						
योग	1280	830	702	702	578		6485	7187	702	702	7187

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

क. प्रश्नगत योजनाओं में आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय करने के उपरान्त प्राप्त ही नहीं है।

2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

क. प्रश्नगत योजना में मांग होने के फलस्वरूप अधिक व्यय है, परन्तु उल्लिखित मानक मदों में बजट प्राविधान क्रमशः रूपया-57.37 लाख, रूपया-6.88 लाख, रूपया-0.60 लाख तथा रूपया-शून्य ही है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-158 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आ0ई0-372/ई-3-200/दस-2016 दिनांक-12 फरवरी, 2016

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग।

(रामसुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

Page 18

—2—

पृ0 संख्या-33/2016/आय-322(1)/20-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3- निदेशक जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।